

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... रामफूल पुत्र उमराव  
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-10 सन्-2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-10/2023.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
-------------	--	---

18.07.  
2023

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2080 ग्राम सरावली भूमि खं0न0 95 कुल अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ते पर गैर सायल रामफूल पुत्र उमराव जाति मीना निवासी ग्राम सरावली द्वारा उक्त भूमि को जोतकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल का पुत्र न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.44 रुपये का 50 मुणा 22 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।

बेदखली, एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले अदालत में सुनाया गया।

राज 10 स 0 4 वर्ष 2023-24 की

राज 10 स 0 3-पर-22 रु

कायम की गई

तहसील राजस्व लेखाकार



तहसीलदार  
मण्डावर (दौसा)

